न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 50/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री अंगद सिंह पुत्र श्री हरबक्श गुर्जर
   एफबीओ मैसर्सः—राधिका होटल, बांदीकुई मेगा हाईवे बायपास, मुकरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. Sh.Happy Tambi s/o Sh. Premprakash Tambi
   M/S-Happy Traders, Infront of ICICI Bank, Sikandra Road, Bandikui
3. Sh. Mukesh Kumar gupta
   M/S-New Mohit Agencies, Holi Upper, Near Sunar Temple, Alwar
4. Sh. Jatin Jain Incharge/Nominee
   M/S Everest Beverages & Food Industries Private Limited Industrial Plot No. 19&20 Sector 8 Vedvyaspuri Meerut(U.P.) 250103
5. M/S Everest Beverages & Food Industries Private Limited Industrial Plot No. 19&20 Sector 8 Vedvyaspuri Meerut(U.P.) 250103

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी सं. 5 की ओर से प्रतिनिधि राहुल पाठक उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 15.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.08.2022 को दोपहर 03:30 बजे मैसर्सः—राधिका होटल, बांदीकुई मेगा हाईवे बायपास, मुकरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री अंगद सिंह पुत्र श्री हरबक्श गुर्जर तहसील लालसोट जिला दौसा उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के भोजनालय की रैक में 20 बोतल मूल पैक 650 ग्राम वजनी Red Chilly Sauce(Everest) रखा हुआ था। विक्रेता ने अवगत करवाया कि Red Chilly Sauce(Everest) आम जनता को सब्जी एवं अन्य सामग्री बनाकर बेचने हेतु काम में लिया जाता है। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जॉच हेतु 4 बोतल मूल पैक 650 ग्राम वजनी Red Chilly Sauce(Everest) खरीदा। जिसकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा Red Chilly Sauce(Everest) चार बोतलो के लिये चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2805 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 17.01.2022 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.01.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.01.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ Red Chilly Sauce(Everest) के नमूना की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./79/एक्ट/2022/79 दिनांक 28.01.2022 व आरएफएल मैसूर के पत्रांक FT/AQCL/FSSA(612F)/2022 Date 29-08-2022 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। **Everest Beverages & Food Industries** की ओर से प्रतिनिधि श्री राहुल पाठक उपस्थित आये एवं बहस के दौरान **Everest** कम्पनी की और से अपना पक्ष रखा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं **Everest** कम्पनी प्रतिनिधि की बहस सुनी गई ।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./79/एक्ट/2022/79 दिनांक 28.01.2022 व आरएफएल मैसूर के पत्रांक FT/AQCL/FSSA(612F)/2022 Date 29-08-2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Red Chilly Sauce(Everest) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Total Soluble solids (Salt free basis)** की मात्रा 4.4 पाई गई है। जो कि मानक स्तर 8.0 से कम नहीं होनी चाहिये थी। इस कारण से खाद्य पदार्थ का यह नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ Red Chilly Sauce(Everest) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

Everest Beverages & Food Industries की ओर से प्रतिनिधि श्री राहुल पाठक ने बहस के दौरान निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ के नमूने में नमक की मात्रा तय मानको से कम पाई गई है। नमूने में मात्र नमक की मात्रा कम होने के कारण से यह खाद्य पदार्थ

Red Chilly Sauce(Everest) सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ Red Chilly Sauce(Everest) बनाते समय किसी बैच में नमक की मात्रा कम रह जाने के कारण यह कमी पाई गई है। यह किसी भी प्रकार से उक्त खाद्य पदार्थ का प्रयोग करने वाले उपभोक्ता के लिये हानिकारक नहीं है। कम्पनी की जानकारी में आने के साथ ही इस कमी को सुधार कर लिया गया है एवं भविष्य में खाद्य पदार्थ बनाते समय पुरा ध्यान रखा जायेगा। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के समस्त नियमो का ध्यान रखते हुये ही उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है। कम्पनी के प्रतिनिधि के द्वारा कम से कम जुर्माना लगाया जाकर कम्पनी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./79/एक्ट/2022/79 दिनांक 28.01.2022 व आरएफएल मैसूर के पत्रांक FT/AQCL/FSSA (612F)/2022 Date 29-08-2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ Red Chilly Sauce(Everest) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ Red Chilly Sauce(Everest) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 लगायत 5 पर 25000/-(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 15.02.2023 के एक माह के अन्दर-अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः- .02.2023

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अंगद सिंह पुत्र श्री हरबक्श गुर्जर
   एफबीओ मैसर्सः-राधिका होटल, बांदीकुई मेगा हाईवे बायपास, मुकरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
4. Sh.Happy Tambi s/o Sh. Premprakash Tambi
   M/S-Happy Traders, Infront of ICICI Bank, Sikandra Road, Bandikui
5. Sh. Mukesh Kumar gupta
   M/S-New Mohit Agencies, Holi Upper, Near Sunar Temple, Alwar
6. Sh. Jatin Jain Incharge/Nominee
   M/S Everest Beverages & Food Industries Private Limited Industrial Plot No. 19&20 Sector 8 Vedvyaspuri Meerut(U.P.) 250103
7. M/S Everest Beverages & Food Industries Private Limited Industrial Plot No. 19&20 Sector 8 Vedvyaspuri Meerut(U.P.) 250103

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा